कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट

दिनांक- 06.04.2026

🔷 **अपराध पर कड़ा प्रहार-लूट की घटना का सफल अनावरण, गिरोह का भंडाफोड़।**

🔷 **थाना मुगलसराय व स्वाट/सर्विलांस पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में लूट की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, ड्रायवर ने रची थी लूट की साजिश।**

🔷 **गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 23,000/- रुपए नगद, 01 पीली धातु का लाकेट, 02 मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त अवैध धारदार तलवार व 01 मोटरसाइकिल की गयी बरामदगी।**

पूर्व की घटना-

दिनांक 02.04.2026 को थाना मुगलसराय पर वादी रविन्द्र कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी सुरहा, अदलहाट, जनपद मिर्जापुर एवं रोहित सिंह पुत्र हरिवंश सिंह निवासी फिरोजपुर, चुनार द्वारा तहरीर दी गई कि वे मैजिक वाहन से गोला बाजार, गोरखपुर में धान बेचकर वापस आ रहे थे। रात्रि लगभग 01 बजे कुरहना ओवरब्रिज के पास वाहन रोककर पेशाब करने के दौरान तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार के बल पर दोनों के साथ मारपीट/छिनैती की गई तथा जान से मारने की धमकी देते हुए उनके पास से मोबाइल फोन, 45000 रुपए नगद एवं एक सोने का लॉकेट छीनकर फरार हो गए। उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-148/2026 धारा 309(6), 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया।

कार्यवाही-

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आकाश पटेल द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर,अरुण कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय राजेश कुमार मिश्रा व प्रभारी निरीक्षक स्वाट/सर्विलांस के कुशल नेतृत्व में दिनांक-05.04.2026 को

थाना मुगलसराय व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक, मैनुअल एवं सर्विलांस सेल से संकलित साक्ष्यों के आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट कॉलोनी के नाचघर मैदान के पास से लूट की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 23,000 रुपये नकद, 02 मोबाइल फोन, 01 पीली धातु का लॉकेट, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल CD डीलक्स नं0 UP63AU8764 तथा 01 अवैध तलवार बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS व 4/25 आयुध अधि0 बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>पूछताछ विवरण-</u>

पूछताछ को दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने पूर्व नियोजित योजना के तहत दिनांक 02.04.2026 की रात्रि में लूट की घटना कारित की थी। अभियुक्त रोहित पटेल, जो पिकअप वाहन चालक था, उसने वादी को गोरखपुर से वापस लाते समय अपने भाई विपिन कुमार सिंह को वादी के पास मौजूद धनराशि की जानकारी दी तथा योजना के अनुसार कुरहना अंडरपास के समीप वाहन को बहाने से रुकवाया। पूर्व से घात लगाए विपिन कुमार, आकाश सिंह एवं विशाल पटेल मौके पर पहुंचे और वादी के साथ मारपीट करते हुए अवैध तलवार से भयभीत कर उसके पास रखे ₹45,000/- नगद व मोबाइल फोन लूट लिये। घटना को वास्तविक दर्शाने एवं शक से बचने हेतु अभियुक्तों द्वारा रोहित पटेल के साथ भी हल्की मारपीट कर उसका मोबाइल व गले में पहना लाकेट छीनने का दिखावा किया गया। घटना के पश्चात सभी अभियुक्त मौके से फरार हो गये तथा आपस में लूटे गये धन का बंटवारा कर लिया, जिसमें से कुछ धनराशि खर्च कर दी गई। दिनांक 05.04.2026 को शेष धनराशि के बंटवारे हेतु अभियुक्तगण पुनः एकत्र हुए थे, जहां पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

1.विपिन कुमार सिंह पुत्र हरिवंश पटेल निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 24 वर्ष

2.रोहित पटेल पुत्र हरिवंश पटेल निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 21 वर्ष

3.आकाश सिंह पुत्र जयकुमार सिंह निवासी ममोलापुर नयपूरवा थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 20 वर्ष

4.विशाल पटेल पुत्र दिलीप कुमार निवासी ममोलापुर नयपूरवा थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 19 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास का विवरण-</u>

मु0अ0सं0-148/2026 धारा 309(6), 351(3), 317(2) बीएनएस व 4/25 आयुध अधि0 थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

बरामदगी का विवरण-

1.नकद 23,000/- रुपये

2.02 मोबाइल फोन

3.01 पीली धातु का लॉकेट

4.घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल CD डीलक्स नं0 UP63AU8764

5.01 अवैध तलवार म्यान सहित